सं. एन-41011/06/2023-बीसी-III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 08 जून, 2023

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है। मंत्रालय उक्त संहिताओं के प्रावधानों का पालन करने के लिए समय-समय पर सभी प्राइवेट टीवी चैनलों को एडवाजरी जारी करता है।

2. हाल ही में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने 28.02.2023 को धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा और एक बच्चे की घटना को मीडिया द्वारा गलत तरीके से चित्रित करने पर चिंता जताई है। आयोग ने टीवी चैनलों द्वारा इस मामले को चित्रित करने पर चिंता जताई है, उक्त घटना के संबंध में मीडिया पर निरादरपूर्ण और अपमानजनक सामग्री की कड़ी निंदा की है।

3. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम संहिता में प्रावधान हैं कि - *केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जो-*

नियम 6(1)(ग): जिसमें धर्मों या समुदायों पर हमले या धार्मिक समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द शामिल है या जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं;

नियम 6(1)(घ): जिसमें कुछ भी अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, झूठा और विचारोत्तेजक संकेत और अर्धसत्य शामिल है;

नियम 6(1)(झ): जो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से या कुछ समूहों, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के खंडों की आलोचना, निंदा या बदनामी करता है।

4. तदनुसार, सभी टीवी चैनलों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि उक्त कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करें, उचित सावधानी, जिम्मेदारी, संवेदनशीलता दिखाएं और इस तरह की घटना की रिपोर्टिंग करते समय किसी भी असत्यापित सामग्री को प्रसारित करने से बचें।

प्रतीक जैन

(प्रतीक जैन)

उप निदेशक

दूरभाष: 23073316

ईमेल: prateekjain.89@gov.in

प्रतिलिपि :

1. केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों के स्व-नियामक निकाय।

2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/एसोसिएशन के निकाय।